Seventeenth Loksabha

>

Title: Election of two members from Lok Sabha to the Central Building and other construction workers' Advisory Committee.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ:

> "कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम,1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

> "कि भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) केन्द्रीय नियम,1998 के नियम 11(2) के साथ पठित भवन और अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 3(2)(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अध्यधीन केन्द्रीय भवन और अन्य निर्माण कामगार परामर्शी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

-

…(व्यवधान)

14.04 ½ hrs

GOVERNMENT BILLS- Introduced